INTERNATIONAL LEPROSY UNION-HEALTH ALLIANCE
C/o. CASP BHAVAN : Survey No. 132/2, Plot No. 3, Pashan Baner Link Road,
Pune 411 021. INDIA Tel. : 32317932
E-mail : ilupune@gmail.com Website : www.ilu.org.in

Hon. Justice **Chandrashekhar Dharmadhikari,** (Retd.) Patron | **Mr. Ram Naik** President | **Dr. S. D. Gokhale** Hon. President
Mr. R. H. Belavadi Vice - President | **Maj. Dr. Pradip Gaikwad** Ex-Director | **Dr. Dilip Satbhai** Hon. Treasurer | **Mrs. R. S. Gokhale** Hon. Secretary

कृपया प्रकाशनार्थ **21 दिसंबर 2012**

कुष्ठपीडितों पर अन्याय करनेवाले पुराने कानून

बदलने का विधी सचिव का आश्वासन

मुंबई, शुक्रवार: कुष्ठपीडितों पर सामाजिक अन्याय करनेवाले तथा उनसे भेदनीति करने वाले 16 कानुनों में परिवर्तन करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, ऐसा आश्वासन केंद्र सरकार के विधी मंत्राालय के सचिव श्री. पी.के.मलहोत्रा ने गुरुवार को इंटरनैशनल लेप्रसी युनियन के प्रतिनिधी मंडल को मुंबई में दिया. प्रतिनिधी मंडल में इंटरनैशनल लेप्रसी युनियन के अध्यक्ष तथा पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक, महाराष्ट्र सरकार के विधि मंत्रालय के निवृत्त मुख्य सचिव श्री.व्ही.के.देशपांडे, संगठन के उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र के निवृत्त कारागृह महासंचालक श्री. राम बेलवडी, संगठन के कार्यकारी संचालक तथा राज्य के आरोग्य मंत्रालय के कुष्ठ तथा क्षय विभाग के निवृत्त संयुक्त संचालक मेजर डा. प्रदीप गायकवाड व संगठन के कार्यक्रम अधिकारी श्री.संकेत चिपळूणकर थे. इंटरनैशनल लेप्रसी संगठनद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ती में यह जानकारी दी गयी हैं.

इस विषय की विस्तार से जानकारी देते हुए श्री.राम नाईक ने कहा,''कुष्ठपीडितों के सबलीकरण के लिए पुरे देश में कुष्ठपीडितों के लिए काम कर रहे विभिन्न संगठनों ने मिल कर राज्यसभा में 4 दिसंबर 2007 को याचिका दर्ज की. इस याचिका पर अभ्यास करने के लिए याचिका समिति ने देश के विभिन्न राज्यों में कुष्ठपीडित बस्तीयों को भेंट दी. विचार-विमर्श के बाद समिति ने 24 अक्टूबर 2008 को राज्यसभा को अपनी रपट पेश की. इस रपट पर तुरंत अंमल हो इस माँग को लेकर सभी संगठनों ने मिल कर प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को चार पत्र लिखे. इतनाही नहीं तो राष्ट्राध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा पाटील से भी 14 सितंबर 2011 तथा 15 जून 2012 को प्रत्यक्ष मिल कर अनुरोध किया. राष्ट्रपती के आश्वासन के बाद भी केंद्र सरकार ने अब तक कारवाई शुरु नहीं की है.''

..2..

''कुष्ठपीडितों पर अन्याय करने वाले 16 कानुनों में सुधार करने का सुझाव इस रपट में दिया गया था. पुराने दिनों में कुष्ठरोग को असाध्य तथा संसर्गजन्य माना जाता था जिसके कारण कुष्ठरुग्णों से उनके परिवारजन भी मुँह मोड लेते थे. कानून भी केवल कुष्ठरोग की आशंका पर भी तलाक देने की अनुमति देता है, रेल तथा बसों में कुष्ठरुग्णों को यात्रा करने पर पाबंदी हैं, उन्हें भीक भी माँगने नही दी जाती, पकड कर सुधार घरों में रख कर मानवाधिकार का उल्लंघन किया जाता है. किंतु अब वैज्ञानिकों के संशोधन से कुष्ठरोग पर इलाज होता है इतनाही नही तो एमडीटी लेने वाले मरीजों से संसर्ग भी नहीं होता. इसलिए यह इस बदलाव के अनुसार अलग-अलग 16 कानुनों में सुधार करने की आवश्यकता हैं. इसी माँग को लेकर इंटरनैशनल लेप्रसी युनियन का प्रतिनिधी मंडल 10 दिसंबर को दिल्ली में विधि मंत्री श्री. अश्विनी कुमार से मिला था. तब चर्चा के लिए विधि सचिव श्री. पी.के.मलहोत्रा भी उपस्थित थे. विधि मंत्री ने इस मामले में जल्द से जल्द कारवाई करने का आश्वासन दिया था. उसीके नुसार विस्तार से विचारविमर्श करने विधि सचिव गुरुवार को मुंबई आये थे. इंटरनैशनल लेप्रसी युनियन से चर्चा के बाद सभी 16 कानुनों में सुधार लाने के लिए कारवाई शुरु करने का आश्वासन उन्होंने दिया.

''सभी 16 कानुनों में सुधार लाने का कार्यक्रम तय कर उस पर जल्द से जल्द अंमल हो ताकि कुष्ठपीडितों को न्याय मिले,'' ऐसी उम्मीद श्री.राम नाईक ने अंत में व्यक्त की.

(कार्यालय मंत्री)